तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी अहकाम जो इस की तामील में हुए
12 जन. 2024	पत्रावली आज मियाद प्रार्थनापत्र बाबत आदेशार्थ पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित, जिनकी बहस मियाद प्रार्थनापत्र बाबत पूर्व में सुनी जा चुकी है। न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं कार्यपालक दण्डनायक (मुख्यालय) जोधपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 201/1988 जोगाराम बनाम रावतराम व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23 जुलाई 2001 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष 11 जनवरी 2002 को प्रस्तुत पूर्व में दिनांक 25 फरवरी 2003 को निस्तारित करते हंए पारित निर्णय के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत द्वितीय अपील संख्या 2219/2003/जोधपुर रामदीन बनाम रावताराम आदि दिनांक 06 जून 2023 को निर्णित करते हुए माननीय मण्डल द्वारा प्रकरण अदालत हाजा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र का निस्तारण किया जावे, तत्पश्चात प्रकरण निस्तारित किया जावे। तदनुसार वकुलाय फरीकेन की बहस मियाद प्रार्थनापत्र बाबत सुनी गयी। अपील के साथ विलम्ब कण्डोन किये जाने हेतु भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत पेश किये गये प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23 जुलाई 2001 इकतरफा पारित किये गये जिनका इल्म अपीलाण्ट्स को 02 जनवरी 2002 को पटवारी हल्का द्वारा यह बताये जाने पर हुआ कि वादग्रस्त भूमि खेत खसरा संख्या 133/1/1 रकबा 8 बीघा 02 बिस्वा बाबत राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर रेस्पो. का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया गया है। तब अपीलाण्ट्स द्वारा 03 जनवरी 2002 को ही अपने पूर्व अधिवक्ता श्री जी आर गोरा से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त करने बाबत उनके द्वारा मात्र इतना बताया गया कि राजस्व मूल वाद संख्या 201/1988 में दिनांक 16 मई 1989 को पारित आदेश के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष प्रस्तुत निगरानी की कार्यवाही में मूल वाद की पत्रावली तलब किये जाने पर माननीय मण्डल में भिजवायी गयी और तदनुसार तारीख पेशी उत्तरोत्तक इल्तवा गयी। वस्तुस्थिति की और अधिक जानकारी दो-तीन बाद न्यायालय से पता कर दिये जाने का अधिवक्ता द्वारा आवश्वासन दिया गया किन्तु अधिक जानकारी प्रदान नहीं की गयी। तब अपीलाण्ट्स ने अधिवक्ता श्री श्यामसिंह भाटी से दिनांक 05 जनवरी 2002 को सम्पर्क किया तो उनके द्वारा न्यायालय से मालूमात करने पर दिनांक 05 जनवरी 2001 को सर्वप्रथम विदित हुआ कि मूल वाद संख्या 201/1988 दिनांक 23 जुलाई 2001 को	

12.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

निर्णित किया जा चुका है। तब अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्ति हेतु आवेदन पेश किया और दिनांक 07 जनवरी 2002 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर विधिवत अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री बाबत जानकारी हुई एवं बाद आवश्यक कार्यवाही आलौच्य अपील जानकारी की दिनांक से निर्धारित समय सीमा के भीरत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 11 जनवरी 2002 को प्रस्तुत कर दी गयी।

अपनी बहस जारी रखते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष मूल वाद मे तारीख पेशी दिनांक 05 फरवरी 1990 को प्रतिवादी-अपीलाण्ट्स की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश किया गया, जो विचाराधीन रहते हुए दिनांक 14 जून 1990 को मूल वाद की पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल द्वारा तलब किये जाने पर भिजवाते हुए आगामी पेशी 23 जुलाई 1990 मुकर्रर की गयी। जिसके बाद मूल वाद की पत्रावली में कोई तारीख पेशी मुर्करर नहीं की गयी और माननीय मण्डल से पत्रावली पुनः प्राप्त होने पर रिकार्डरूम में जमा करा दी गयी। दिनांक 05 जुलाई 2001 के पूर्व कभी यह मिसल विचारण न्यायालय में पेश हुई। दिनांक 02 जुलाई 2001 को अधिवक्ता-वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी के आधार पर पत्रावली रिकार्डरूम से तलब कर दिनांक 05 जुलाई 2001 को विचारण न्यायालय में पेश हुई और उसी दिन प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स को बिना कोई सूचना दिये इकतरफा कार्यवाही अमल मे लाते हुए प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर लिया गया और आगामी पेशी वास्ते बहस 11 जुलाई 2001 मुकर्रर की गयी। जिस पर बहस सुनी गयी और अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23 जुलाई 2001 पारित कर दिये गये। जो कतई न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर उसके संलग्न वादग्रस्त भूमि से संबंधित खसरा गिरदावरी संवत 2030 से 2033 की छायाप्रति अभिलेख पर लिये जाने का निवेदन किया। साथ ही एआईआर 1966 एससी 1697, 2006 (12) एस.सी.सी. 552(ए), 2006(2) आरआरटी 802 (राज.उच्च न्यायालय), 2004 आरआरडी 123 (खण्डपीठ), 2005(1) आरआरटी 583, एआईआर 1966 एससी 605 (डी), 1996 आरआरडी 96, 1996 आरआरडी 90, एआईआर 1954 एससी 355(इ), 1983 आरआरडी 122, 1959 आरएलडब्ल्यु 381, 2003(2) आरआरटी 1253, 2000 आरआरडी 45, 2013(1) आरआरटी 420 (खण्डपीठ), 2013(2) आरआरटी 1415, 2010(2) आरआरटी 1458 (एससी), 2005(1) आरआरटी 174,

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में जा

2001(2) आरआरटी 875, 1991 आरआरडी 112 (राज.उच्च न्यायालय), एआईआर 1964 एससी 215, 1989 आरआरडी 525(बी), एआईआर 1995 एससी 719, 2009 आरआरडी 787 (राज.उच्च न्यायालय), एआईआर 1966 एससी 529, 1978 आरआरडी 90, 2013 आरआरडी 707, एआईआर 1987 एससी 1353, एआईआर 2011 एससी 1388, 2011(1) आरआरटी 602 एससी, 2008(2) आरआरटी 1183 (राज.उच्च न्यायालय), 2023(2) आरआरटी 1115, एआईआर 1954 एससी 340, 2004(8) एस.सी.सी. 706 तथा 1999 आरआरडी 173 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर मियाद प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियादशुमार किये जाने तथा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर उसके संलग्न वादग्रस्त भूमि से संबंधित खसरा गिरदावरी संवत 2030 से 2033 की छायाप्रति अभिलेख पर लिये जाने का निवेदन किया।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने मियाद प्रार्थनापत्र का विरोध किया और मियादप्रार्थनापत्र के लिखित जबाब में उल्लेखित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत अपीलाण्ट्स को प्रारम्भ से ही जानकारी थी, अपीलाण्ट्स पटवारी हळका से किस बाबत मिला इसका मियाद प्रार्थनापत्र में कोई वर्णन नहीं किया गया है। रेस्पो. का खेत खसरा संख्या 133/1 रकबा 19 बीघा 08 बिस्वा है जिसके चारो तरफ बाड व पत्थरों की कच्ची चुनाई की हुई है। दिनांक 04 अगस्त 1987 को अपीलाण्ट्स के खिलाफ विचारण न्यायालय में इकतरफा कार्यवाही हो गयी जिसे निरस्त करवाने हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश किया गया जो विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 16 मई 1989 को खारिज कर दिया गया एवं उक्त आदेश दिनांक 16 मई 1989 के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी दिनांक 09 नवम्बर 1992 को खारिज हो चुकी है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित होने के पूर्व भी अपीलाण्ट्स की ओर से गांव के मौजिज व्यक्तियों के मार्फत मुकदमें का खर्चा दिये जाने पर रेस्पो. के पक्ष में खातेदारी बाबत कोई एतराज नहीं किये जाने का प्रस्ताव आने पर रेस्पो. द्वारा राशि रु. 12000/- तय करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी की जानकारी अपीलाण्ट्स की दी गयी और रिकार्ड में बतौर खातेदार नाम आ जाने पर राशि अदा करने का कहा गया। किन्तु अपीलाण्ट्स द्वारा 62000/- की मांगी की गयी। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत अपीलाण्ट्स को प्रारम्भ से ही जानकारी रही है। अधिवक्ता-रेस्पो. ने यह भी जाहिर किया कि विचारण न्यायालय में दिनांक 30 जनवरी 1990 को सुनवाई की तारीख पर अधिवक्ता-प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए, जो प्रार्थनापत्र विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, वह सीपीसी के प्रावधानानुसार

12.1.24

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

शपथपत्र से समर्थित नहीं होने के कारण विचारण योग्य नहीं है। वादी-रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पर भी कोई जिरह नहीं की गयी। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री बाबत अपीलाण्ट्स को प्रारम्भ से ही जानकारी होते हुए भी निर्धारित समय सीमा के भीतर आलौच्य अपील पेश नहीं की गयी, अतः अपील अपीलाण्ट मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे।

मियाद प्रार्थनापत्र बाबत उभयपक्ष के अधिवक्तागण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

जो नजीरें अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत की गयी, उनमें 1983 आरआरडी 122, 1959 आरएलडब्ल्यु 381, एवं 2003(2) आरआरटी 1253 खसरा गिरदावरी लोक अभिलेख होने से उस पर विश्वास करते हुए किसी भी स्तर पर अभिलेख पर लिये जाने से संबंधित है। किन्तु आलौच्य मामले में अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 के संलग्न वादग्रस्त आराजियात से संबंधित खसरा गिरदावरी की मात्र छायाप्रतियॉ पेश की गयी है, जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होने से उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 09 अक्तूबर 1985 को मूल वाद संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया, किन्तु बावजूद तामील प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 04 अगस्त 1987 को मिसल वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। इसके बाद दिनांक 20 अक्तूबर 1987 को प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री जी आर गोरा द्वारा वकालतनामा पेश किया गया और दिनांक 12 नवम्बर 1987 को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश कर आदेशिका दिनांक 04 अगस्त 1987 में प्रतिवादीगण के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही का अंकन नहीं होने व प्रतिवादीगण की गैरहाजरी के उपरान्त भी मूल वाद में कोई कार्यवाही नहीं होकर मुकदमा प्रारम्भिक स्तर पर ही विचाराधीन होने से प्रतिवादीगण को जबाब दावा पेश करने का अवसर दिये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 16 मई 1989 को निस्तारित करते हुए प्रतिवादीगण को जबाबदावा का अवसर दिया जाना उचित नहीं माना, जिसके खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी दिनांक 09 नवम्बर 1992 को खारिज हुई। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16 मई 1989 की माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी पुष्टि हो चुकी है। जाहिर है कि मूल वाद की कार्यवाही में प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स पर विधिवत सम्मनों की तामील हुई है

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर
12.1.24

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी

और उनकी ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता भी उपस्थित हुए हे। ऐसी स्थिति में वाद की कार्यवाही एवं पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत समुचित जानकारी रखने का प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स स्वयं का दायित्व बनता है। मियाद से संबंधित नजीरों एआईआर 1987 एससी 1353 धारित किया गया है कि गलत आदेश पारित किये जाने की स्थिति में मियाद का बिन्दु लागू नहीं होता है। इसी प्रकार एआईआर 2011 एससी 1388 में माननीय न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि समुचित एवं विश्वसनीय कारण उपलब्ध होने की स्थिति में विलम्ब को कण्डोन किया जाना चाहिये। जहॉ मामले में सारभूत बिन्दु निहित हो, उनमें भी लचीला रूख अपनाते हुए विलम्ब कण्डोन किये जाना 2011(1) आरआरटी 602 एससी में उचित माना गया है। गुणावगुण का सिंहावलोकन किये बिना मियाद जैसे तकनीकी आधार पर प्रकरण खारिज किया जाना 2008(2) आरआरटी 1183 (राज.उच्च न्यायालय) के मामले में उचित नहीं माना गया है। इसी प्रकार 2023(2) आरआरटी 1115 में धारित किया गया है कि विलम्ब के आधार पर किसी पक्षकार के सब्सटेण्टिव अधिकार प्रभावित नहीं होने चाहिये। 2004(8) एस.सी.सी. 706 में वॉइड डिकी के मामले में मियाद का बिन्दु लागू नहीं होना माना गया है तथा 1999 आरआरडी 173 के प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि अधिवक्ता की त्रुटि के कारण पक्षकार को सूचना नहीं दिये जाने का तथ्य विलम्ब कण्डोन किये जाने का उपयुक्त आधार है। अदालत हाजा इन सभी नजीरों का सम्मान करती है किन्तु आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद की कार्यवाही में प्रतिवादीगण पर सम्मनों की तामील होने, इकतरफा कार्यवाही को निरस्त किये जाने हेतु प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स द्वारा आदेश 9 आदेश 7 सीपीसी विचारण न्यायालय द्वारा अस्वीकार करते हुए पारित आदेश की माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी स्तर पर पुष्टि होने आदि को ध्यान में रखते हुए आलौच्य प्रकरण में तथ्यों की भिन्नता के कारण से उपरोक्त नजीरों के आधार पर अपीलाण्ट्स को कोई अनुतोष प्रदान किया जाना सम्भव नहीं पाया जाता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार अपील अपीलाण्ट्स मियाद-बाधित होने से खारिज की जाती है। विचारण न्यायालय का अभिलेख मय आदेश की प्रति लौटाया जावे। मिसल फैसलशुमार की जाकर बाद तामील-तकमील दाखित दफ्तर की जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर